मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-13.07.2016 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अतः सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में समय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया कि विभागीय स्तर से कर्मचारियों के शिकायतों को सुना जाय व मामलों का निष्पादन करने का प्रयास किया जाय ताकि माननीय न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में कमी हो सके।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बताया गया कि विभागवार सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में सभी विभागों को विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की संख्या के अनुसार अधिवक्ता उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।

3. बैठक में विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना जाने के क्रम में उनके समक्ष उत्पन्न होने वाले समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में बैठने की समस्या के संबंध में मुख्य सचिव बिहार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को पत्र लिखा जाय जिसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय में बैठने के लिए उचित व्यवस्था कराने का अनुरोध किया जाय।

4. बैठक हेतु तीन विभागों का प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। इन विभागों में पर्यटन विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग शामिल है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि बैठक हेतु प्रतिवेदन समय उपलब्ध कराया जाय। साथ ही बैठक हेतु प्रतिवेदन एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सभी विभागों को पत्र लिखे जाने का निर्देश मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विधि विभाग को दिया गया।

5. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में **वाणिज्यकर विभाग, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, जल संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं शिक्षा विभाग** के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया गया। इसी क्रम मे MJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग** का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया।

6. CWJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **स्वास्थ्य विभाग पर्यावरण एवं वन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग एवं पथ निर्माण विभाग** शामिल है। इसी प्रकार MJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, पथ निर्माण विभाग एवं कृषि विभाग** है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा खेद व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को निर्देश दिया गया।

7. CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले शिक्षा विभाग (1187 मामले), स्वास्थ्य विभाग (689 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (444 मामले), ऊर्जा विभाग (233 मामले) एवं पंचायती राज विभाग (213) में लम्बित है। इसी प्रकार MJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले शिक्षा विभाग (84 मामले), स्वास्थ्य विभाग (57 मामले), परिवहन विभाग (27 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विभाग (17 मामले) एवं नगर विकास एवं आवास विभाग (16 मामले) में लम्बित है। लम्बित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

21/7/16

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/4508 जे0 पटना, दिनांक- 21-07-16

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.7.2016

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/4508 जे0 पटना, दिनांक- 21-07-16

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.7.2016

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।